न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हीरादेवी बनाम राजस्थान सरकार प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/21	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 704/55 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम निझरना तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त भूमि की रेवन्यू रिकार्ड में खातेदारी धापा पत्नी रामलाल, ग्यारसीलाल, औमप्रकाश, मंगलराम पि0 स्व. रामलाल हिस्सा 1/2 तथा गणपत पुत्र रामलाल हिस्सा 1/2 के नाम से अंकित है। हिस्सा 1/2 में से खातेदार धापा देवी पत्नी रामलाल बैरवा कर इन्तकाल दिनांक 21–09–2016 को एक वर्ष पूर्व हो चुका हैं । प्रार्थीगण मृतक गणपत लाल के विधिक उत्तराधिकारीगण हैं मृतक गणपत स्वर्गीय रामलाल का बड़ा ही बड़ा पुत्र था परन्तु जब रामलाल की मृत्यु हुई थी तब उसकी विरासत का नामान्तकरण नामान्तकरण भरते समय पटवार हल्का अर्थात राजस्व एजेन्सी द्वारा गलती से गणपत के स्थान पर ग्यारसीलाल का दूसरा नाम गणपत है। गणपत बैरवा का इन्तकाल दिनांक 13–03–1998 में सड़क दुर्घटना में हो चुका हैं मृतक गणपत अपने भाईयो तथा अपने परिवार के साथ बसिलसिले दिल्ली ही रहता था मजदूरी का धंधा कर अपना जीवन यापन करता था। वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में अंकित ग्यारसीलाल पुत्र रामलाल एकदम अशुद्व है। जबकि ग्यारसीलाल का वास्तविक शीर्षक नाम ग्यारसीलाल व गणपत दोनो ही है। उसे गांव समाज बिरादरी में गणपत के नाम से ही जाना जाता था जब गणपत मरा तो दिल्ली नगर निगम द्वारा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी गणपत पुत्र रामलाल के नाम से ही जारी किया है। प्रार्थीगण के नाम से आगे उनकी वल्दियत सारे सरकारी व गैरसरकारी कागजात व रिकार्ड में गणपत ही दर्ज है। प्रार्थी हिरादेवी भी पत्नी गणपत के नाम से ही जानी पहचानी जाती है। राजस्व एजेन्सी द्वारा जब मृतक रामलाल की विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया तो गणपत के स्थान पर ग्यारसीलाल अंकित कर दिया जो अशुद्व है। जबकि रेवेन्यू रिकार्ड में ग्यारसीलाल उर्फ गणपत पुत्र स्वर्गीय रामलाल अंकित होना चाहिए। प्रार्थीगण के पति व पिता मृतक गणपत का नाम राजस्व रिकार्ड में ग्यारसीलाल गलत अंकित होने के कारण उन्हे काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रार्थीगण की भूमि कौथून लालसोट मनोहरपुर हाईवे द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है उक्त अधिग्रहित भूमि की मुआवजा	

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

राशि प्रार्थीगण को इसलिए नही मिली की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में तो उनके पिता का नाम ग्यारसीलाल दर्ज है तथा दिल्ली के रिकार्ड मे गणपत लाल अंकित हैं। जब प्रार्थीगण अपने पिता गणपत की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने सरपंच ग्राम पंचायत के पास गये तो उन्होने नामान्तकरण खोलने से स्पष्ट मना कर दिया और कहां कि तुम यह आदेश लेकर आवो कि ग्यारसीलाल व गणपत एक ही है। तब मैं नामान्तकरण खोलूगा। न्यायहित में ग्यारसीलाल उर्फ गणपत अंकित किया जाना न्यायार्थ जरूरी है। प्रार्थीगण के पिता को गांव में ग्यारसीलाल तथा दिल्ली के अंकित रिकार्ड में गणपत लाल के नाम से जाना जाता है जबकि ग्यारसीलाल व गणपत एक ही व्यक्ति है अलग अलग नही है। प्रार्थीगण तहसीलदार लालसोट के पास भी मृतक ग्यारसीलाल का अशुद्व अंकन सही करवाने के लिए कई मर्तबा गये परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र श्री पं0 रामबाबू शर्मा एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब करने हेतू तहरीर जारी कि गयी जिस पर अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली की गई। उभय पक्षकारान बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 704/55 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। प्रार्थीया के पति की उक्त खातेदारी में नाम ग्यारसीलाल पुत्र रामलाल दर्ज किया है जबकि प्रार्थी को ग्यारसीलाल व गणपत दोनो की नाम से जाना जाता है के कारण शुद्व किये जाने योग्य है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्यारसीलाल व गणपत दो अलग अलग व्यक्ति है प्रार्थीगण ग्यारसीलाल के वारिसान है जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय से सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०